



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.4 (7)परावि/विधि/स्थायी समिति गठन/2015/ 744 जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,
समस्त ।

3/12/15

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं के शेष रहे स्थायी समितियों
के चुनाव सम्पन्न करवाये जाने बाबत ।


प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 719 दिनांक 20.11.2015 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि जिन जिलों में विभागीय पत्र क्रमांक 429 दिनांक 16.06.2015 की पालना में पंचायती राज संस्थाओं की स्थायी समितियों का गठन किया जा चुका है तथा ऐसी स्थायी समितियों में किन्ही कारणों से स्थान रिक्त रह गये हो, तो ऐसे रिक्त रहे स्थानों के लिए भी प्रासंगिक पत्र के अनुसार बैठक आयोजन हेतु तिथियों का निर्धारण कर दिनांक 20 दिसम्बर, 2015 तक रिक्त रहे पदों को भरा जाना सुनिश्चित करावें ।


संयुक्त शासन सचिव (विधि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
5. जिला प्रमुख, जिला परिषद, समस्त (राजस्थान) ।
6. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त (राजस्थान) ।
7. प्रधान, पंचायत समिति, समस्त (राजस्थान) ।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त (राजस्थान) ।


संयुक्त शासन सचिव (विधि)